न्यायालय श्रीमान् सहायक जिलाधीश (मुख्यालय), अजमेर

राजस्व वाद पत्र (टी.ए.) सं0. 32 / 2021 जिला अजमेर

...दत्तक पुत्र स्व. श्री कालू जाति गुर्जर निवासी डूमाडा तहसील व जिला अजमेर।

......वादी

बनाम

1. छगमा पुत्र पांचू जाति गुर्जर निवासी ग्राम डूमाडा तहसील व जिला अजमेर।
2. तारा पुत्री मगनलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम डूमाडा तहसील व जिला अजमेर।
3. पूजा पुत्री मगनलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम डूमाडा तहसील व जिला अजमेर।
4. फूमा पत्नी पांचू जाति गुर्जर निवासी ग्राम डूमाडा तहसील व जिला अजमेर।
5. भंवरी पुत्री पांचू जाति गुर्जर निवासी ग्राम डूमाडा तहसील व जिला अजमेर।
6. रुकमा पत्नी मगनलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम डूमाडा तहसील व जिला अजमेर।
7. राजू पुत्र मगनलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम डूमाडा तहसील व जिला अजमेर।
8. राधाकिशन पुत्र पांचू जाति गुर्जर निवासी ग्राम डूमाडा तहसील व जिला अजमेर।
9. तहसीलदार अजमेर।
10. उप पंजीयक अजमेर।

............प्रतिवादीगण

राजस्व वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 व 92 अ राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

समक्ष

पीठासीन अधिकारीः– श्रीमती मोनिका जाखड़ आर0ए0एस0

उपस्थित अभिभाषक :–

वादीगण की ओर से अभिभाषक :– रामसुख चौधरी उपस्थित।

प्रतिवादीगण की ओर से अभिभाषक :–

निर्णय

दिनांक 30.05.2024

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने ग्राम डूमाडा तहसील व जिला अजमेर के चौसला खसरा नम्बर 620 रकबा 13 बिश्वा 10 बिश्वांसी उक्त चौसाला खसरा नम्बर के वर्किंग खसरा नम्बर 773 रकबा 13 बिश्वा 10 बिश्वांसी के आधार (वर्तमान) खसरा नम्बर 1381 रकबा 0.28 हैक्टेयर भूमि तथा चौसाला खसरा नम्बर 621 रकबा 1बीघा 5 बिश्वा उक्त चौसाला खसरा नम्बर के वर्किंग खसरा नम्बर 774 रकबा 1बीघा 5 बिश्वा के आधार खसरा नम्बर 1378 / 2242 रकबा 0.03 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में उक्त वाद पत्र पेश कर कथन किया कि वाद पत्र के पैरा संख्या 1 में अंकित चौसाला खसरा नम्बर 620 रकबा 13 बिश्वा 10 बिश्वांसी भूमि वादी के दत्तक पिता स्व. श्री कालू पुत्र छोटू जाति गुर्जर द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 15.12.1959 को तथा चौसाला खसरा नम्बर 621 रकबा 1–5–00बीघा दिनांक 18.06.1962 को क्रय की गयी उक्त विक्रय पत्रों के आधार पर चौसाला खसरा नम्बर 620 का नामान्तरण संख्या 190 तथा चौसाला खसरा नम्बर 621 का नामान्तरण 143 वादी के दत्तक पिता कालू पुत्र छोटू के नाम तस्दीक कर चौसाला जमाबन्दीयों में क्रेता के नाम अंकन कर दिया जो ग्राम डूमाडा की चौसाला जमाबन्दी सम्वत 2019 लगायत 2026 से स्वंय सिद्ध है। वाद पत्र में कथन किया कि उपरोक्त आराजी से प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 के पूर्वज स्व. पांचू वल्द छोटू जाति गुर्जर का कोई लेना देना नहीं था। इसके उपरान्त (?) राजस्व एजेन्सी द्वारा वादग्रस्त भूमि की वर्किंग जमाबंदी सम्वत 2041 बनाते वक्त खाता संख्या 37 में अंकित खसरा नम्बर 773 रकबा 13 बिस्वा 10 बिश्वांसी एवं खसरा नम्बर 774 रकबा 1बीघा 5 बिस्वा भूमि में बिना किसी आधार के वादी के दत्तक पिता स्व. कालू वल्द छोटू के नाम के साथ हिस्सा (?) भूमि में

30/05/24
सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

प्रतिवादीगण के पूर्वज स्व. पांचू वल्द छोटू गुर्जर का नाम गैर कानूनी रूप से अंकन कर दिया। उक्त गैर--कानूनी अंकन के आधार पर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 ने पांचू वल्द छोटू के स्वर्गवास पश्चात अपने नाम गैर-कानूनी रूप से विरासती नामान्तरण संख्या 718 दिनांक 25.08.2012 को स्वीकृत करवा लिया। अतः वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में वर्किंग जमाबन्दी सम्वत 2041 में प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 के पूर्वज पांचू वल्द छोटू गुर्जर का गैर--कानूनी अंकन तथा उक्त अंकन के आधार पर पांचू वल्द छोटू की प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 के नाम की गयी विरासती आधार पर अंकन वादी के स्वत्व व अधिकारों के प्रति प्रभावहीन एवं बेअसर घोषित किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात का वादी को तन्हा खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 को वादग्रस्त आराजी पर वादी के चले आ रहे तन्हा कब्जे काश्त में दखलन्दाजी व मदाखलत उत्पन्न करने तथा गैर कानूनी रूप से जबरन अतिक्रमण करने से प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाने का निवेदन किया तथा वाद कारण वर्किंग जमाबन्द सम्वत 2041 में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 के पूर्वज पांचू वल्द छोटू का नाम बिना किसी आधार पर अंकन करने पर तत्पश्चात पांचू वल्द छोटू की विरासत प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 ने अपने नाम तस्दीक करवाने तथा दिनांक 20.06.2021 को प्रतिवादीगण से वादी द्वारा उक्त गलत व गैर कानूनी इन्द्राज दुरूस्त करवाने का निवेदन करने पर प्रतिवादीगण द्वारा स्पष्ट इन्कार करने से उत्पन्न होकर लगातार जारी रहने बाबत कथन करने के आधार पर उक्त वाद पत्र प्रस्तुत किया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन बाबत वाद पत्र का जवाब प्रस्तुत करने हेतु जारी किये उक्त सम्मन प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 को व्यक्तिगत तामिल होने के उपरान्त अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई तथा शेष प्रतिवादीगण ने निर्धारित समय में जवाब पेश नहीं करने से उनका जवाब दावा बन्द किया तथा उक्त प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा पेश कर वाद पत्र में अंकित कथनों का खण्डन नहीं करने के कारण वाद बिन्दु (तनकी) कायम करने की आवश्यकता नहीं होने से उक्त वाद पत्र को वादी साक्ष्य हेतु नियत किया। जिस पर वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन हेतु वादी स्वयं पी डब्ल्यू–1, जगदीश पुत्र देवा गुर्जर पी डब्ल्यू–2 तथा देवनारायण पुत्र रूपा कहार पी डब्ल्यू–3 को अपने वाद पत्र में अंकित कथनों के समर्थन में बयान करवाये। वादी स्वयं ने वाद पत्र के समर्थन में वादी साक्ष्य हेतु शपथ पत्र न्यायालय के समक्ष पेश कर शपथपूर्वक कथन किये कि वाद पत्र में अंकित भूमि की आधार जमाबंदी सम्वत 2073–2076 खाता संख्या 118 नया प्रदर्श–1, मिलान क्षैत्रफल सन् 1970–71 प्रदर्श–2, मिलान क्षैत्रफल वर्किंग खसरा नम्बर से आधार खसरा नम्बर प्रदर्श--3, नामान्तरण संख्या 143 प्रदर्श–4, नामान्तरण संख्या 190 प्रदर्श--5, चौसाला जमाबन्दी सम्वत 2019--2022 खाता संख्या 46 प्रदर्श–6, चौसाला जमाबन्दी सम्वत 2019–2022 खाता संख्या 27 प्रदर्श–7, चौसाला जमाबन्दी सम्वत 2023 से 2026 प्रदर्श–8 वर्किंग जमाबन्दी सम्वत 2041 खाता संख्या 37 नया प्रदर्श--9 पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 15.12.1959 प्रदर्श–10 पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 18.06.1962 प्रदर्श–11 अपने बयानों में न्यायालय के समक्ष प्रदर्शित करवाकर अपने वाद पत्र में अंकित कथनों का समर्थन किया। तथा वादी ने स्वतंत्र गवाह के रूप में जगदीश पुत्र देवा जाति गुर्जर उम्र 54 वर्ष के बयान करवाये जिसने शपथपूर्वक बयान किये कि मैं वादी व प्रतिवादीगण को जन्म से जानता हूँ क्योंकि मैं ग्राम डूमाडा का स्थायी निवासी हूँ तथा इनके पूर्वज क्रमशः कालू पुत्र छोटू एवं पांचू पुत्र छोटू को भी जानता हूँ उक्त दोनों भाईयों का स्वर्गवास हो चुका है वादी स्व. कालू का दत्तक पुत्र होने से वादग्रस्त आराजीयात इसे विरासत में प्राप्त हुई। उक्त भूमि पर पूर्व में वादी के दत्तक पिता का कब्जा काश्त था उनके स्वर्गवास पश्चात वादी का कब्जा काश्त करते देखते आ रहा हूँ। अन्य किसी व्यक्ति का मैंने मेरी समझ–समझाईस से कभी कब्जा नहीं देखने बाबत न्यायालय के समक्ष शपथपूर्वक बयान किये। इसी प्रकार वादी साक्ष्य में स्वतंत्र गवाह के रूप में वादी ने देवनारायण पुत्र रूपा जाति कहार उम्र 48 वर्ष निवासी डूमाडा को न्यायालय के समक्ष पेश कर बयान करवाये जिसने कथन किया कि मैं वादी व प्रतिवादीगण को जन्म से जानता हूं क्योंकि मैं इसी गांव का स्थायी निवासी हूं तथा उक्त आराजीयात मैं पिछले 25 वर्ष से वादी से काश्त पैटे लेकर, अपने परिवार का

सहायक कलक्टर (मु.) अजमेर

भरण–पोषण करते चला आ रहा हूं तथा कथन किया कि हर फसल काश्त करने तथा फसल कटाई के पश्चात वादग्रस्त आराजी का कब्जा पुनः वादी को सौंप देता हूं इस वर्ष उन्हालू फसल मैंने जौ की फसल काश्त की है। जिसकी अभी मैंने कटाई लावंणी करवा ली है। जो मौके पर खलियान में पडी है। 10–15 रोज में निकालने हेतु तैयार होगी इसके बाद वादग्रस्त आराजीयात का कब्जा रिक्त कर मैं वादी को कब्जा सुपुर्द करना कथन कर रहा हूं तथा कथन किये कि उक्त भूमि पर एक मात्र कब्जा काश्त वादी का ही है। अन्य किसी व्यक्ति का मौके पर मैंने मेरी समक्ष–समझाईस में अन्य किसी का कब्जा नहीं देखने बाबत बयान किये। वादी द्वारा अपनी ओर से बयान पूर्ण होने पर उक्त प्रकरण बहस हेतु नियत किया। तत्पश्चात वादी की और से वादी अभिभाषक की बहस सुनी गई जिन्होने वाद पत्र में अंकित कथनों एवं वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य तथा मौखिक साक्ष्य को वादी के वाद पत्र का समर्थन करते हुऐ कथन किया कि पंजीकृत विक्रय क्रमशः दिनांक 15.12.1959 व दिनांक 18.06.1962 से वादग्रस्त आराजी वादी के दत्तक पिता की क्रय शुदा आराजी है। उक्त विक्रय पत्रों के आधार पर नामान्तरण संख्या क्रमशः 190 व 143 वादी के दत्तक पिता के नाम स्वीकृत किये गये उक्त नामान्तरण का अंकन चौसाला जमाबंदी सम्वत 2019 से 2022 प्रदर्श–6 खाता 46 के कॉलम संख्या 16 में अंकन से स्पष्ट है। इसी प्रकार नामान्तरण संख्या 143 का अंकन चौसाला जमाबंदी सम्वत 2023 से 2026 जो की प्रदर्श–8 के कॉलम 16 में अंकिन से स्पष्ट है। कि वादग्रस्त आराजी स्व. कालू वल्द छोटू जाति गुर्जर की क्रयशुदा भूमि होने के आधार पर विधिवत वादी के दत्तक पिता के नाम अंकित की गयी। किन्तु वादग्रस्त आराजीयात की वर्किंग जमाबंदी सम्वत 2041 बनाते समय राजस्व ऐजेन्सी ने बिना किसी आधार पर वादी के दत्तक पिता स्व. कालू पुत्र छोटू के भाई पांचू पुत्र छोटू का नाम बिना किसी आधार के अंकन कर दिया तथा उक्त पांचू के स्वर्गवास पश्चात प्रतिवादीगण ने गैर–कानूनी रूप से विरासती नामान्तरण संख्या 718 दिनांक 25.08.2012 गैर–कानूनी रूप से विरासत स्वीकार करवा लेने से वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में भी प्रतिवादीगण का नाम गलत अंकित चला आ रहा है। उक्त अंकन वादी के स्वत्व व अधिकारों के प्रति प्रभावहीन व बेअसर घोषित किया जाकर वादी को वादग्रस्त आराजीयात का तन्हा खातेदार काश्तकार घोषित करने तथा वादग्रस्त आराजीयात बाबत प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने बाबत कथन किया। वादी द्वारा की गई बहस वाद पत्र में वादी द्वारा करवाये गये बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करने पर पाया की ग्राम डूमाडा के चौसाला खसरा नम्बर 620 करबा 13 बिश्वा 10 बिश्वांसी भूमि स्व. कालू पुत्र पांचू जाति गुर्जर द्वारा पंजीकृत पत्र दिनांक 15.12.1959 जो प्रदर्श–10 से स्पष्ट है कि उक्त खसरा नम्बर वादी के दत्तक पिता की क्रयशुदा आराजी है। इसी प्रकार चौसाला खसरा नम्बर 621 रकबा 1–5बीघा भूमि भी वादी के दत्तक पिता द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र प्रदर्श–11 है से क्रय करना सिद्ध है। उक्त विक्रय पत्रों के आधार पर क्रेता के नाम नामान्तरण संख्या 190 प्रदर्श–5 व नामान्तरण संख्या 143 प्रदर्श–4 से स्पष्ट सिद्ध है कि वादग्रस्त आराजी वादी के दत्तक पिता कालू वल्द छोटू की क्रयशुदा भूमि है। उक्त नामान्तरण का अंकन जमाबंदी सम्वत 2019 से 2022 की जमाबन्दी प्रदर्श–6 प्रदर्श–7 एवं प्रदर्श–8 में किये गये अंकन के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि वादी के दत्तक पिता कालू पुत्र छोटू की स्वअर्जित आराजी होना सिद्ध है। किन्तु राजस्व ऐंजेन्सी द्वारा वादग्रस्त आराजी की वर्किंग जमाबन्दी सम्वत 2041 बनाते समय कालू वल्द छोटू के अंकन के साथ पांचू वल्द छोटू जाति गुर्जर का अंकन किस आधार पर किया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से उक्त किस आधार पर किया है स्पष्ट नही है अर्थात पांचू वल्द छोटू जाति गुर्जर का नाम वादग्रस्त आराजीयात की वर्किंग जमाबन्दी में बिना किसी आधार नामान्तरण या किसी सक्षम न्यायालय के निर्णय व डिक्री के बिना अंकिन किया जाना स्पष्ट सिद्ध है। तथा उक्त गलत अंकन के आधार पर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 ने अपने पूर्वज पांचू पुत्र छोटू के स्वर्गवास होने पर अपने नाम विरासती नामान्तरण संख्या 718 दिनांक 25.08.2012 को गलत रूप से अपने नाम अंकन करवाया है जो कि गलत है क्योंकि जब प्रतिवादीगण के पूर्वज का अंकन ही बिना किसी आधार पर वर्किंग जमाबन्दी सम्वत 2041 किया। उक्त अंकन तथा उक्त अंकन के पश्चात प्रतिवादीगण द्वारा करवाये गये समस्त अंकन वादी

30/05/24
सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

Scanned with OKEN Scanner

के स्वत्व व अधिकारों के प्रति प्रभावहीन व बेअसर घोषित करवाने का अधिकारी होने से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम डूमाडा तहसील व जिला अजमेर के चौसाला खसरा नम्बर 620 व 621 रकबा क्रमशः 13 बिश्वा 10 बिश्वांसी एवं रकबा 1–5 बीघा के वर्किंग खसरा नम्बर 773 रकबा 13 बिश्वा 10 बिश्वांसी व खसरा नम्बर 774 रकबा 1–5 बीघा भूमि में वादी के दत्तक पिता कालू वल्द छोटू जाति गुर्जर खातेदार के साथ पांचू वल्द छोटू गुर्जर का नाम बिना किसी आधार पर वर्किंग जमाबन्दी में अंकन किया है। उक्त अंकन वादी के स्वत्व व अधिकारों के प्रति प्रभावहीन व बेअसर घोषित किया जाकर ग्राम डूमाडा कि वर्किंग जमाबंदी सम्वत 2041 खाता संख्या 37 के खसरा नम्बर 773 व 774 उक्त वर्किंग खसरा नम्बर के आधार खसरा नम्बर 1381 करबा 0.28है. व 1378/2242 रकबा 0.03हैक्टेयर भूमि से प्रतिवादीगण के पूर्वज पांचू वल्द छोटू तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाकर वादी को वादग्रस्त आराजी का एक मात्र खातेदार काश्तकार उदघोषित किया जाता है। तथा वादी की खातेदारी काश्तकारी की भूमि में गैर-कानूनी रूप से प्रवेश करने तथा वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। उपरोक्तानुसार डिक्री जारी की जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/05/24

(मोनिका जाखड़)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर

अंतिम डिक्री व मुददमे इब्दते

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 व 92 अ राज0 का0 अधि01955 सपठित

मुकदमा नम्बरः–32 / 2021

गोविन्दा दत्तक पुत्र स्व. श्री कालू जाति गुर्जर निवासी डूमाडा तहसील व जिला अजमेर।

.....वादी

बनाम

1. उगमा पुत्र पांचू जाति गुर्जर निवासी ग्राम डूमाडा तहसील व जिला अजमेर।
2. तारा पुत्री मगनलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम डूमाडा तहसील व जिला अजमेर।
3. पूजा पुत्री मगनलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम डूमाडा तहसील व जिला अजमेर।
4. फूमा पत्नी पांचू जाति गुर्जर निवासी ग्राम डूमाडा तहसील व जिला अजमेर।
5. भंवरी पुत्री पांचू जाति गुर्जर निवासी ग्राम डूमाडा तहसील व जिला अजमेर।
6. रूकमा पत्नी मगनलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम डूमाडा तहसील व जिला अजमेर।
7. राजू पुत्र मगनलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम डूमाडा तहसील व जिला अजमेर।
8. राधाकिशन पुत्र पांचू जाति गुर्जर निवासी ग्राम डूमाडा तहसील व जिला अजमेर।
9. सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर।
10. उप पंजीयक अजमेर।

.....प्रतिवादीगण

दिनांक :– 30 / 05 / 2024

वादी अभिभाषक श्री रामसुख चौधरी असालतन स्वंय उपस्थित। इस वाद में आज तारीख 28 / 05 / 2024 को पीठासीन अधिकारी श्रीमती मोनिका जाखड आर0ए0एस0 के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है कि :– वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम डूमाडा तहसील व जिला अजमेर के चौसाला खसरा नम्बर 620 व 621 रकबा क्रमशः 13 बिश्वा 10 बिश्वांसी एवं रकबा 1–5 बीघा के वर्किंग खसरा नम्बर 773 रकबा 13 बिश्वा 10 बिश्वांसी व खसरा नम्बर 774 रकबा 1–5 बीघा भूमि में वादी के दत्तक पिता कालू वल्द छोटू जाति गुर्जर खातेदार के साथ पांचू वल्द छोटू गुर्जर का नाम बिना किसी आधार पर वर्किंग जमाबन्दी में अंकन किया है। उक्त अंकन वादी के स्वत्व व अधिकारों के प्रति प्रभावहीन व बेअसर घोषित किया जाकर ग्राम डूमाडा कि वर्किंग जमाबंदी सम्वत 2041 खाता संख्या 37 के खसरा नम्बर 773 व 774 उक्त वर्किंग खसरा नम्बर के आधार खसरा नम्बर 1381 करबा 0.28है. व 1378 / 2242 रकबा 0.03हैक्टेयर भूमि से प्रतिवादीगण के पूर्वज पांचू वल्द छोटू तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 को नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाकर वादी को वादग्रस्त आराजी का एक मात्र खातेदार काश्तकार के रूप में घोषित किया जाता है। तथा वादी की खातेदारी काश्तकारी की भूमि में गैर–कानूनी रूप से प्रवेश करने तथा वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। डिक्री इसी कदर जारी हो।

(मोनिका जाखड)
सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर

सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर

Scanned with OKEN Scanner

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1–वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2–शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3–प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4–...रूपये पर प्लीडर की फीस 5–साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6–कमिश्नर की फीस 7–आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह –व्यय आदेशिका की तामिल कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड	

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) अजमेर

(मोनिका जाखड़)
सहायक कलक्टर (मु.) अजमेर
सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर

Scanned with OKEN Scanner